संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन के दूसरे खण्ड में की गई सिफारिशों पर राष्ट्रपति जी का आदेश

भारत सरकार गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) के दिनांक 29 मार्च, 1990 के संकल्प संख्या 12015/34/87-रा.भा. (त.क.) की प्रति

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4(1) के अधीन संसदीय राजभाषा समिति गठित की गई थी। सरकारी कार्यालयों में देवनागरी में यांत्रिक सुविधाओं के प्रयोग के सम्बन्ध में सिफारिशें करते हुए समिति ने अपना द्वितीय प्रतिवेदन जुलाई, 1987 में राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया। राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 (3) के अनुसार इसे 29 मार्च, 1988 को लोक सभा एवं 30 मार्च, 1988 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया। इसकी प्रतियां राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को भेजी गईं चूंकि सिफारिशों का सम्बन्ध विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में होने वाले कामकाज से है, अत: इस सम्बन्ध में उनसे भी राय ली गई। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों से प्राप्त मतों पर विचार करने के बाद समिति द्वारा की गई अधिकांश सिफारिशों को मूल रूप में या कुछ संशोधन के साथ स्वीकार करने का निर्णय किया गया है। तद्नुसार अधोहस्ताक्षरी को राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 (4) के अधीन समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के सम्बन्ध में राष्ट्रपति के निम्नलिखित अनुसार आदेश सूचित करने का निर्देश हुआ है:-

(1) समिति ने यह सिफारिश की है कि :

(क) 1990 तक "क" क्षेत्र स्थित कार्यालयों में कम से कम 90 प्रतिशत, "ख" क्षेत्र स्थित कार्यालयों में $66\frac{2}{3}$ प्रतिशत और "ग" क्षेत्र स्थित कार्यालयों में 25 प्रतिशत टाइपराइटर देवनागरी के होने चाहिए। यह बात साधारण टाइपराइटर के अतिरिक्त पिन प्वाइंट, बुलेटिन और पोर्टेबल तथा बिजली चालित टाइपराइटरों पर भी लागू होनी है।

(ख) यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रत्येक कार्यालय में देवनागरी का कम से कम एक टाइपराइटर अवश्य हो और इसके अतिरिक्त टाइपराइटरों की खरीद ऊपर वर्णित विभिन्न क्षेत्रों के लिए निर्धारित प्रस्तावित प्रतिशत के अनुसार की जानी चाहिए।

समिति की सिफारिश को इस संशोधन के साथ स्वीकार किया गया है कि 1994-95 के अन्त तक समिति द्वारा प्रस्तावित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आदेश राजभाषा विभाग द्वारा निकाले जाएं। इन आदेशों में समिति की सिफारिश के परिप्रेक्ष्य में राजभाषा विभाग के आदेशों की पुनरावृत्ति की जाये कि प्रत्येक कार्यालय में कम से कम देवनागरी का एक टाइपराइटर अवश्य हो और वर्तमान देवनागरी टाइपराइटरों में प्रत्येक वर्ष लगभग 20 प्रतिशत वृद्धि करते हुए यह सुनिश्चित किया जाये कि वर्ष 1994-95 के अन्त तक समिति द्वारा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिये जाएं। इसी के अनुसार प्रत्येक वर्ष हिंदी आशुलिपि तथा देवनागरी टाइपिंग के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। ये लक्ष्य राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक वर्ष के अनुसार वार्षिक कार्यक्रम में भी परिलक्षित किये जायें।

(2) टाइपराइटरों के बारे में समिति ने सिफारिश की है कि :

(क) इलैक्ट्रानिक टाइपराइटरों के अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि केवल देवनागरी के इलैक्ट्रानिक टाइपराइटरों का भी देश में निर्माण शीघ्रातिशीघ्र हो सके और उपलब्ध होने पर इन टाइपराइटरों की "क" तथा "ख" क्षेत्र स्थित कार्यालयों द्वारा की जाने वाली मांग को शीघ्र पूरा किया जा सके। इसके निर्माण तथा प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार को चाहिए कि इस प्रकार के टाइपराइटर पर उत्पाद शुल्क में विशेष रियायत दे।

यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है। इसके कार्यान्वयन के लिए इलैक्ट्रानिक विभाग और उद्योग मंत्रालय आवश्यक कार्रवाई करें।

(ख) यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जब तक केवल देवनागरी इलैक्ट्रानिक टाइपराइटर का निर्माण नहीं हो जाता तब तक सभी कार्यालय केवल वही इलैक्ट्रानिक टाइपराइटर खरीदें जिनमें रोमन के साथ-साथ देवनागरी टाइपिंग की सुविधा भी उपलब्ध हो।

राजभाषा विभाग द्वारा 15 जून, 1987 को यह आदेश जारी किया जा चुका है कि केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों में केवल द्विभाषी (हिंदी-अंग्रेजी) इलैक्ट्रानिक टाइपराइटर ही खरीदे जाएं। समिति की सिफारिश के परिप्रेक्ष्य में राजभाषा विभाग द्वारा इन आदेशों को दोहराते हुए सभी मंत्रालयों/विभागों आदि से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाये कि जब तक केवल देवनागरी इलैक्ट्रानिक टाइपराइटर का निर्माण नहीं हो जाता, तब तक सभी कार्यालय केवल इलैक्ट्रानिक टाइपराइटर खरीदें जिनमें रोमन के साथ-साथ देवनागरी टाइपिंग की सुविधा भी उपलब्ध हो।

(3) हिंदी टाइपिंग तथा हिंदी आशुलिपि में प्रशिक्षण के सम्बन्ध में समिति ने सिफारिश की है कि :

(क) यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि हिंदी टाइपिंग तथा हिंदी आशुलिपि में प्रशिक्षित सभी कर्मचारियों की सेवाओं का हिंदी के काम के लिए पूरा लाभ उठाया जाए।

राजभाषा विभाग द्वारा आदेश जारी किया जाए कि सभी विभागादि देवनागरी टंकण व आशुलिपि में प्रशिक्षित कर्मचारियों की सेवाओं का हिंदी के काम में समुचित उपयोग करें तथा जहां उनकी संख्या के अनुरूप टाइपराइटर उपलब्ध नहीं हैं, वहां तुरन्त देवनागरी टाइपराइटर खरीदे जाएं तथा यदि कोई अन्य कारण है जिससे प्रशिक्षित कर्मचारियों की सेवाओं का हिंदी के काम में उपयोग नहीं हो पा रहा हो तो उन कारणों को तुरन्त हटाया जाये।

(ख) जिन कर्मचारियों को अभी तक हिंदी टाइपिंग अथवा हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है, उन्हें एक समयबद्ध योजना के अनुसार 1990 के अन्त तक इसमें प्रशिक्षित कराया जाए ताकि आवश्यकतानुसार वे हिंदी में टाइपिंग तथा आशुलिपि का कार्य कर सकें ।

सिफारिश के इस भाग को इस संशोधन के साथ स्वीकार किया गया है कि समयबद्ध योजना के अनुसार 1994-95 के अन्त तक हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि के प्रशिक्षण के लिए वर्तमान में शेष रहे लगभग सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाये। इसके लिए प्रत्येक वर्ष राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित वार्षिक कार्यक्रम में हिंदी आशुलिपिकों तथा देवनागरी टाइपिस्टों के लक्ष्यों में प्राय: 20 प्रतिशत वृद्धि की जानी अपेक्षित होगी ।

(4) समिति ने यह सिफारिश की है कि हिंदी टाइपिंग तथा हिंदी आशुलिपि में प्रशिक्षण की वर्तमान व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाना चाहिए। इस समय इस प्रकार के प्रशिक्षण की सुविधाएं अत्यन्त सीमित हैं। विशेषकर अहिंदी भाषी क्षेत्रों में तो इनका प्राय: सर्वथा अभाव ही है। जहां-जहां भी निजी संस्थाओं में इस प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं है वहां हिंदी शिक्षण योजना के प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने चाहिए। यदि ऐसे प्रशिक्षण केन्द्र अधिक नहीं खोले जा सकते तो सम्बन्धित कर्मचारियों को कुछ समय के लिए इस प्रकार के गहन प्रशिक्षण के लिए चुने हुए प्रशिक्षण केन्द्रों में भेजा जाना चाहिए।

समिति की सिफारिश मान ली गई हैं तथा इसके लिए केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान तुरन्त निम्नलिखित कदम उठाये :-

(क) इस समय विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण के लिए बची कार्मिक-शक्ति तथा उनके परिप्रेक्ष्य में वर्तमान प्रशिक्षण व्यवस्थाओं का सर्वेक्षण ।

(ख) 8वीं पंचवर्षीय योजना में प्रशिक्षण विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्णकालिक तथा अंशकालिक प्रशिक्षण केन्द्र खोलना ।

(ग) जहां सम्भव हो, राज्य सरकार अथवा स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित प्रशिक्षण केन्द्रों में सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षित करवाना ।

(घ) कुछ चुने हुए केन्द्रों में पूर्णकालिक प्रशिक्षण व्यवस्था तथा वहां पर गहन प्रशिक्षण के क्रैश कोर्सों का आयोजन ।

इसके अतिरिक्त राजभाषा विभाग सभी मंत्रलयों/विभागों आदि को सूचित करे कि ऐसे स्थानों पर जहां सरकारी कर्मचारियों की संख्या इतनी अधिक नहीं है कि इनके लिए पूर्णकालिक/अंशकालिक प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाएं और जहां पर स्वैच्छिक संस्थाओं आदि द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था भी उपलब्ध नहीं है, वहां सरकारी कर्मचारियों का हिंदी आशुलिपि तथा हिंदी टंकण का प्रशिक्षण निजी संस्थाओं, जैसे प्राइवेट कमर्शियल इंस्टीच्यूट में कराये जाने की स्वीकृति तथा इस प्रशिक्षण पर कर्मचारियों द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति सम्बन्धित कार्यालय द्वारा की जाए। साथ ही सभी कार्यालयों के लिए कहा जाए कि प्रत्येक कार्यालय में कम से कम एक टंकक हिंदी में प्रशिक्षित अवश्य हो। जहां कहीं आवश्यक तथा सम्भव हो इस प्रकार के प्रशिक्षित टंकक को अन्य अप्रशिक्षित कर्मचारियों को हिंदी के टंकण के प्रशिक्षण के लिए प्रयोग किया जाए और यह अतिरिक्त कार्य करने के लिए कार्यालय अध्यक्ष द्वारा उन्हें कुछ मानदेय भी नियमानुसार दिया जाए।

(5) समिति ने यह सिफारिश की है कि :

(क) हिंदी टाइपिंग तथा हिंदी आशुलिपि के पाठ्यक्रम का समय-समय पर पुनरीक्षण किया जाना चाहिए और इनमें अद्यतन तकनीकी विकास को देखते हुए गुणात्मक सुधार किया जाना चाहिए ताकि ये टाइपिस्ट इलैक्ट्रिक तथा इलैक्ट्रानिक टाइपराइटरों पर भी सुविधापूर्वक कार्य कर सकें।

यह सिफारिश मान ली गई है। इस सिफारिश के क्रियान्वयन के लिए केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान कुछ चुने हुए केन्द्रों पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटरों के प्रयोग के लिए प्रशिक्षण दिया जाए। शुरू में यह प्रशिक्षण केवल उन्हीं कार्यालयों के टाइपिस्टों को दिया जाए, जहां पर कम से कम एक इलैक्ट्रानिक टाइपराइटर उपलब्ध है अथवा जहां इलैक्ट्रानिक टाइपराइटर खरीदने का निर्णय लिया गया हो । इसके अतिरिक्त जहां-जहां द्विभाषी इलैक्ट्रानिक टाइपराइटर उपलब्ध हों, वहां सम्बन्धित कम्पनियों द्वारा भी इलैक्ट्रॉनिक टाइपराइटर पर काम करने का प्रशिक्षण दिया जा सकता है। द्विभाषी इलैक्ट्रानिक टाइपराइटर खरीदने वाले कार्यालयों द्वारा इस सम्बन्ध में कम्पनियों से अनुरोध किया जाए ।

(ख) इसी प्रकार टैलेक्स तथा टेलीप्रिंटर प्रचालकों के भी समय-समय पर पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए ।

यह सिफारिश मान ली गई है, इसके कार्यान्वयन के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम दूरसंचार विभाग तथा केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा चलाए जाएं और इसके लिए समयबद्ध योजना शीघ्र बनाकर कार्यान्वित की जाए ।

(6) पतालेखी मशीनों के सम्बन्ध में समिति ने सिफारिश की है कि :

(क) 'क' तथा 'ख' क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों में ब्राडमा पतालेखी मशीन के साथ देवनागरी एम्बोसिंग मशीनें लगाई जायें ।

यह सिफारिश मान ली गई है। इस सिफारिश के कार्यान्वयन के लिए राजभाषा विभाग द्वारा आदेश जारी किया जाए। चूंकि 'ग' क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों में भी कई बड़े-बड़े कार्यालय ऐसे हैं, जिनमें काफी पत्र-व्यवहार 'क' तथा 'ख' क्षेत्रों के कार्यालयों से होता है अतः ऐसे कार्यालयों में भी द्विभाषी पतालेखी मशीनों का प्रावधान होना चाहिए इसलिए आदेशों की परिधि में 'ग' क्षेत्र को भी सम्मिलित किया जाए ।

(ख) इन मशीनों पर कार्यरत कर्मचारियों के हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

पतालेखी मशीनों पर कार्यरत कर्मचारियों को हिंदी भाषा का ज्ञान होना चाहिए । ऐसे कर्मचारियों को पतालेखी मशीन पर हिंदी भाषा में काम करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण देने के लिए पतालेखी मशीन कम्पनियों से अनुरोध किया जाए ।

(7) टेलीप्रिंटर/टैलेक्स के सम्बन्ध में समिति ने सिफारिश की है कि :

(क) 'क' तथा 'ख' क्षेत्रों के कार्यालयों में जहां केवल रोमन टेलीप्रिंटर लगे हुए हैं वहां उनके साथ-साथ देवनागरी टेलीप्रिंटर जून, 1988 तक लगाए जाने चाहिएं ।

यह सिफारिश संशोधन के साथ स्वीकार की गई है। चूंकि अब द्विभाषी इलैक्ट्रानिक टैलेक्स मशीन का विकास हो चुका है और इन मशीनों का व्यावसायिक उत्पादन भी हो रहा है, उचित यही होगा कि रोमन टेलीप्रिंटरों को द्विभाषी टैलेक्स मशीनों से बदल दिया जाए ।

(ख) इसके साथ-साथ देवनागरी तथा रोमन के द्विभाषी इलैक्ट्रानिक टेलीप्रिंटर और टैलेक्स के विकास में भी तेजी लाई जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाए कि इसके विकास में तनिक भी विलम्ब नहीं किया जाए और उनके परीक्षण सफल होने के बाद वर्तमान रोमन इलैक्ट्रानिक टेलीप्रिंटरों की बजाए द्विभाषी इलैक्ट्रानिक टेलीप्रिंटर स्थापित किए जाएं। यह कार्य वर्ष 1988 के अन्त तक पूरा हो जाना चाहिए ।

यह सिफारिश भी संशोधन के साथ स्वीकार की गई है । द्विभाषी टैलेक्स मशीन के विकास का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है और वर्तमान रोमन इलैक्ट्रानिक टेलीप्रिंटरों की बजाय द्विभाषी इलैक्ट्रानिक टैलेक्स मशीनें वर्ष 1988 के अन्त तक लगाने की समय-सीमा भी पहले ही समाप्त हो चुकी है। इसलिए दूरसंचार विभाग अंग्रेजी -देवनागरी द्विभाषी टैलेक्स मशीनों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करे और यह सुनिश्चित करे कि सभी सरकारी कार्यालयों में अगले लगभग तीन वर्षों में, अर्थात् 30-9-1993 तक सभी टेलीप्रिंटर/टैलेक्स द्विभाषी हों। इसके लिए दूरसंचार विभाग एक समयबद्ध योजना बनाए, ताकि जहां एक ओर शीघ्रतिशीघ्र द्विभाषी टैलेक्स मशीनें कार्यालयों में उपलबध हों वहीं दूसरी ओर उन पर मुख्यतया देवनागरी में ही काम किया जाये ।

(ग) टेलीप्रिंटर प्रचालकों की हिंदी में कार्य करने का प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से दिया जाना चाहिए ।

टेलीप्रिंटरों के प्रचालकों को हिंदी में प्रशिक्षण देने की सिफारिश मान ली गई है। दूरसंचार विभाग टेलेक्स प्रचालकों के हिंदी प्रशिक्षण का भी प्रबन्ध करे। इसके लिए भी वह एक समयबद्ध योजना बना कर कार्यान्वित करे। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान में भी टैलेक्स प्रचालकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

(8) समिति ने यह सिफारिश की है देवनागरी लिपि में कार्य करने में सक्षम कम्प्यूटर प्रणलियों और शब्दसंसाधक आदि खरीदने में सरकार द्वारा कड़ाई से कार्य किया जाना चाहिए और इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जानी चाहिए । इस विषय में राजभाषा विभाग द्वारा उच्चतम स्तर पर निगरानी रखी जानी चाहिए। इस सिलसिले में, सभी मंत्रालयों, आदि से प्रति तिमाही रिपोर्ट मंगाई जाए कि उन्होंने किस प्रकार की कम्प्यूटर प्रणालियां आदि लगाई हैं ।

समिति की सिफारिश के कार्यान्वयन के लिए राजभाषा विभाग द्वारा इस विषय में दिनांक 31-8-1987 को जारी किए गए आदेश की पुनरावृत्ति की जाए और सभी विभागों से अनुरोध किया जाए कि इस विषय में कड़ाई से काम लें। हालांकि राजभाषा नीति के प्रगामी प्रयोग के विषय में निर्धारित तिमाही प्रगति रिपोर्ट में कम्प्यूटर प्रणाली आदि के विषय में पहले से सूचना उपलब्ध रहती है, तथापि समिति की सिफारिश को मानते हुए राजभाषा विभाग द्वारा इस विषय में एक सर्वेक्षण किया जाए तथा इस सर्वेक्षण के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाए ।

(9) समिति ने यह सिफारिश की है इलैक्ट्रानिकी विभाग में एक संगठन स्थापित किया जाना चाहिए जो विभिन्न प्रकार की इलैक्ट्रानिकी यांत्रिकी सुविधाओं में हिंदी के इस्तेमाल को ध्यान में रखकर उनके निर्माण और विकास के बारे में भी सरकार को सिफारिशें कर सकेगा । इस प्रकार के यंत्रों के निर्माण और विकास में तेजी लाने के लिए सरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र में क्या-क्या किया जा सकता है इसका पता भी लगा सकता है ।

समिति की सिफारिश मान ली गई है। इसके कार्यान्वयन के लिए इलैक्ट्रानिकी विभाग कम्प्यूटर विकास प्रभाग में एक विशेष सैल बनाये, जो विभिन्न प्रकार की इलैक्ट्रानिकी, यांत्रिकी सुविधाओं में हिंदी के इस्तेमाल को ध्यान में रखकर उनके निर्माण और विकास के बारे में भी सरकार को सिफरिशें करें तथा इस प्रकार के यंत्रों के निर्माण और विकास में तेजी लाने के लिए सरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र में क्या-क्या किया जा सकता है, इसका पता भी लगाए । इलैक्ट्रानिकी विभाग इस विषय में एक कार्यदल भी गठित करे, जिसमें राजभाषा विभाग तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के प्रतिनिधि भी हों। यह कार्यदल इन दो मुद्दों पर विचार विमर्श करके एक वर्ष के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे, जिस पर इलैक्ट्रानिकी विभाग के कम्प्यूटर विकास प्रभाग का विशेष सैल कार्यान्वयन के लिए प्रभावी कदम उठाए तथा राजभाषा विभाग से निरन्तर तालमेल रखे ।

(10) समिति ने यह सिफारिश की है कि देवनागरी में कम्प्यूटर प्रणालियों के लिए हार्डवेयर तथा सोफ्टवेयर का निर्माण और विकास प्राथमिकता के आधार पर किया जाए, ऐसा सोफ्टवेयर तैयार किया जाए जिससे केवल देवनागरी में प्रोसैसिंग किया जा सके ।

समिति की यह सिफारिश मान ली गई है, इलैक्ट्रानिकी विभाग इस बात को सुनिश्चित करे कि देवनागरी कम्प्यूटर प्रणाली के लिए हार्डवेयर तथा सोफ्टवेयर का विकास और निर्माण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए जिससे केवल देवनागरी में भी डाटा प्रोसेसिंग की जा सके। इलैक्ट्रानिकी विभाग द्वारा प्रस्तावित भारतीय भाषाओं के लिए टैक्नालाजी विकास मिशन की योजना शीघ्र कार्यान्वित की जाए और यह कार्य एक निर्धारित समय सीमा में सम्पन्न किया जाए ।

(11) समिति ने यह सिफारिश की है कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कम्प्यूटर साक्षरता कार्यक्रम (क्लास) में हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। इसके लिए स्कूलों में कम्प्यूटर के माध्यम से हिंदी तथा हिंदी के माध्यम से अन्य विषयों की शिक्षा के बारे में आवश्यक सोफ्टवेयर का विकास भी अग्रता के आधार पर किया जाना चाहिएं इस कार्यक्रम में लगाए गए सभी कम्प्यूटरों पर हिंदी के सोफ्टवेयर का प्रयोग करना चाहिए ।

समिति की यह सिफारिश मान ली गई है । इसके कार्यान्वय के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय का शिक्षा विभाग समयबद्ध योजना के अनुसार काम करे ।

(12) हिंदी एक ध्वन्यात्मक भाषा है, अन्य भारतीय भाषाओं की भी यही विशेषता है, इसलिए समिति की यह सिफारिश है कि ऐसी प्रौद्योगिकी का विकास और निर्माण किया जाए जिससे कंप्यूटर द्वारा केवल बोलने पर ही संदेश रिकार्ड कर लिया जाए अर्थात कंप्यूटर में 'इनपुट' के लिए देवनागरी अथवा रोमन लिपि के कुंजीपटल पर टाइप करने की आवश्यकता न हो और केवल मौखिक उच्चारण से ही उसमें अपेक्षित सामग्री भरी जा सकती हो, इसके लिए इलैक्ट्रनिकी विभाग का आवश्यक कदम उठाने और शोध कार्य करना चाहिए ।

समिति की यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है और इसके कार्यान्वयन के लिए इलैक्ट्रानिकी विभाग एक समयबद्ध योजना बनाए जिसमें मौखिक उच्चारण द्वारा हिंदी में निर्देश कंप्यूटर में डालने के लिए अनुसंधान आदि किया जाए ।

(13) समिति की यह सिफारिश की है कि या तो लाइन पिंटर के स्थान पर आधुनिकतम लेजर प्रिंटर लगा दिए जाए जिनमें देवनागरी मुद्रण संभव है अथवा देवनागरी के लाइन पिंटर का विकास करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं ।

देवनागरी में उच्चगति के लाइन पिंटरों को देश में शीघ्र उपलब्ध करवाने के विषय में समिति की सिफारिश मान ली गई है तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग इस विषय में कार्य, विकास तथा निर्माण को बढ़ावा दें । इलैक्ट्रानिकी विभाग इस विषय में राजभाषा विभाग को समय-समय पर अवगत कराए तथा राजभाषा इलैक्ट्रानिकी विभाग से प्राप्त सूचना बैंकों तथा अन्य संस्थाओं को उपलब्ध कराये, ताकि विभिन्न संस्थान हिंदी माध्यम से काम करने की क्षमता वाले अद्यतन पिंटर आदि अपने यहां लगवा सकें ।

(14) समिति ने यह सिफारिश की है कि कंप्यूटरों का प्रचुर मात्रा में उपयोग करने वाले कार्यालय जैसे बैंक, रेलें, एयरलाइन्स, रक्षा संगठन आदि, यह सुनिश्चित करें कि उनकी अपनी-अपनी आवश्यकताओं के अनुसार हिंदी में सोफ्टवेयर का विकास तथा निर्माण अग्रता के आधार पर किया जाए ।

समिति की यह सिफारिश मान ली गई है । राजभाषा विभाग इस विषय में इलैक्ट्रोनिकी विभाग से अद्यतन जानकारी प्राप्त करके सभी सरकारी कार्यालयों तथा संस्थाओं को इस विषय में अवगत कराये तथा उनसे सोफ्टवेयर विकास की समयबद्ध योजना बनाने के निर्देश दे ।

(15) कंप्यूटरों में देवनागरी टर्मिनल लगाए जाने के संबंध में समिति ने सिफारिश की है कि :

(क) जिन कंप्यूटरों में केवल रोमन में कार्य करने की सुविधा है वहां देवनागरी टर्मिनल भी तत्काल लगाए जाने चाहिएं ।

समिति की यह सिफारिश मान ली गई है । कंप्यूटरों में 'जिस्ट' टर्मिनल या कार्ड लगाए जाने के विषय में राजभाषा विभाग अद्यतन तकनीक के बारे में सभी सरकारी कार्यालयों को सूचित करे तथा उसमें वर्तमान रोमन कंप्यूटरों में जिस्ट प्रणाली या कार्ड आदि लगाने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित करे ।

(ख) जिन विभागों में ऐसे पुराने कंप्यूटर हैं जिनमें तकनीकी कारणों से द्विभाषी सुविधा प्रदान नहीं की जा सकती उन्हें नवीनतम द्विभाषी कंप्यूटरों में बदलना ही लागत की दृष्टि से अधिक लाभकारी होगा ।

समिति की यह सिफारिश मान ली गई है । राजभाषा विभाग द्वारा इस सिफारिश को सभी सरकारी कार्यालयों के ध्यान में लाया जाए और उन्हें इसे कार्यान्वित करने के लिए कहा जाए ।

(16) समिति ने यह सिफारिश की है कि :

(क) इलैक्ट्रानिकी विभाग को केवल ऐसे कम्प्यूटरों की व्यवस्था के लिए स्वीकृति प्रदान करनी चाहिए जिन पर हिंदी में प्रोसेसिंग और प्रिंटिंग की सुविधा हों ।

समिति की सिफारिश मान ली गई है । इसके कार्यान्वयन के लिए इलैक्ट्रानिकी विभाग विचार करे तथा आवश्यक कार्रवाई करे ।

(क) इलैक्ट्रानिकी विभाग को यह भी देखना चाहिए कि उन्होंने अन्य विभागों को जो कम्प्यूटर उपलब्ध कराए हैं उनमें देवनागरी टर्मिनल उपलब्ध है या नहीं, जहां-जहां ऐसे टर्मिनल नहीं लगाए गए हैं वहां देवनागरी टर्मिनल जोड़ने और हिंदी मुद्रण की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (योजना आयोग) समिति की इस सिफारिश को कार्यान्वित करे ताकि उनके द्वारा अन्य विभागों को उपलब्ध कराये गये कम्प्यूटरों में देवनागरी टर्मिनल जोड़ने और हिंदी मुद्रण की व्यवस्था की जाए ।

(ग) इलैक्ट्रानिकी विभाग को कम्प्यूटर से संबंधित पुस्तकें भी मूल रूप से हिंदी में प्रकाशित करा के उन सभी विभागों/कार्यालयों को भेजी जानी चाहिए जहां उनके द्वारा कम्प्यूटर लगाए गए हैं ।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र इलैक्ट्रानिकी विभाग से सम्पर्क स्थापित करें तथा समिति की इस सिफारिश को कार्यान्वित करें ताकि कम्प्यूटरों से संबंधित पुस्तकें मूल रूप में हिंदी में प्रकाशित करा कर उन सभी विभागों/मंत्रालयों आदि को भेजी जा सकें जहां उनके द्वारा कम्प्यूटर लगाए गए हैं ।

(17) समिति ने यह सिफारिश की है कि तकनीकी प्रकार के अथवा सरल प्रकार के अनुवाद कार्य के लिए कम्प्यूटर का प्रयोग करने की कोशिश की जानी चाहिए ।

समिति की सिफारिश मान ली गई है । इसके कार्यान्वयन के लिए इलैक्ट्रानिकी विभाग कम्प्यूटर द्वारा अंग्रेजी तथा अन्य विदेशी भाषाओं से हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद संबंधी प्रोजेक्ट बनाकर शीघ्रातिशीघ्र प्रारम्भ करें ।

(18) समिति ने यह सिफारिश की है कि एक व्यावहारिक कम्प्यूटर शब्दावली तैयार की जानी चाहिए जो छोटे आकार की हो और जिसकी कीमत काफी कम हो । इसके अतिरिक्त इसका समय-समय पर पुनर्मूल्यांकन भी किया जाना चाहिए ताकि इस क्षेत्र में निरन्तर हो रहे अनुसंधान के कारण जो शब्द प्रचलित हो वे भी इसमें जोड़े जा सकें ।

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग ने व्यावहारिक कम्प्यूटर शब्दावली तैयार कर ली है और इस विषय पर पुस्तक छप भी चुकी है । अतः समिति की यह सिफारिश कार्यान्वित की जा चुकी है । तथापि समिति की इस सिफारिश के दूसरे हिस्से पर वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग भविष्य में यथासमय कार्रवाई करे ।

(19) समिति ने यह सिफारिश की है कि शब्द-संसाधक और इलैक्ट्रानिक टाइपराइटरों के कुंजीपटलों पर देवनागरी वर्ण भी उत्कीर्ण किए जाने चाहिए । आदेश देने की कुंजियों पर भी देवनागरी में आदेश उत्कीर्ण करने के बारे में निर्माता फर्मों को आदेश दिए जाने चाहिए।

इस सिफारिश पर उद्योग मंत्रालय आवश्यक कार्रवाई करे तथा राजभाषा विभाग स्वंय भी कम्प्यूटरों के कुंजीपटल आदि बनाने वाली कम्पनियों को इस विषय में लिखे । इसके अतिरिक्त राजभाषा विभाग सभी विभागों को यह निर्देश दे कि वे केवल वही कम्प्यूटर आदि खरीदें जिनके कुंजीपटल पर सभी आदेश द्विभाषी रूप में उत्कीर्ण किए गए हों ।

(20) केवल द्विभाषी उपकरण लगाए जाने के सम्बन्ध में समिति ने सिफारिश की है कि :

(क) सभी कार्यालय तथा उपक्रम केवल रोमन के कम्प्यूटर शब्द-संसाधक, टेलीप्रिंटर आदि न खरीद कर देवनागरी में कार्य करने की सुविधा वाले उपकरण ही स्थापित करें ।

सरकारी कार्यालयों में केवल ऐसे कम्प्यूटर, शब्द-संसाधक, टेलीपिंटर आदि स्थापित किये जाएं, जिनमें देवनागरी में कार्य करने की सुविधाएं उपलब्ध हों, इस प्रकार के आदेश पहले ही दिनांक 30 मई, 1985 को जारी कर दिये गये थे । इन आदेशों की पुनरावृत्ति की जाए।

(ख) कम्प्यूटर, शब्द-संसाधक आदि की खरीद के लिए जांच बिन्दु इलैक्ट्रानिकी विभाग को बनाया जाए ।

समिति की सिफारिश इस संशोधन के साथ मान ली गई है कि कम्प्यूटर तथा शब्द संसाधक आदि की खरीद के लिए जांच बिन्दु प्रत्येक विभाग का प्रशासन प्रभाग तथा इसमें किसी प्रकार की छूट देने के लिए जांच बिन्दु राजभाषा विभाग रहेगा ।

(ग) टेलेक्स/टेलीपिंटर की खरीद के विषय में जांच बिन्दु दूरसंचार विभाग को बनाया जाए ।

समिति की सिफारिश स्वीकार कर ली गई है । दूरसंचार विभाग इस विषय में आवश्यक कार्रवाई करे ।

(21) समिति ने यह सिफारिश की है कि विभिन्न सरकारी विभागों में किए जाने वाले एक ही प्रकार के कार्य जैसे वेतन बिल आदि हिंदी में बनाने के लिए इलैक्ट्रानिकी विभाग द्वारा आवश्यक सोफ्टवेयर तैयार किया जाना चाहिए जिससे कम्प्यूटर द्वारा हिंदी में कार्य करने के लिए सभी विभागों को सुविधा हो ।

समिति की सिफारिश मान ली गई है । इसके लिए इलैक्ट्रानिकी विभाग तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र आवश्यक कार्रवाई करें ।

(22) समिति ने यह सिफारिश की है कि ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे कि द्विभाषी रूप में कार्य कर सकने वाले उपकरण जिनमें कम्प्यूटर आदि शामिल हैं, अपेक्षतया सस्ते उपलब्ध हो सकें और किसी भी दशा में उनका मूल्य केवल रोमन में कार्य कर सकने वाली मशीनों से अधिक न हो ।

समिति की सिफारिश मान ली गई है । इलैक्ट्रानिकी विभाग इस विषय में उत्पाद-शुल्क आदि में रियायत करवा कर ऐसी व्यवस्था करे कि द्विभाषी कम्प्यूटरों आदि का मूल्य किसी भी हालत में केवल रोमन में कार्य कर सकने वाली मशीनों से अधिक न हो ।

(23) समिति ने यह सिफारिश की है कि राजभाषा विभाग का इस प्रकार से पुनर्गठन किया जाए जिससे कि राजभाषा नीति के सुचारू अनुपालन के लिए किसी प्रकार की कठिनाई न हो । राजभाषा विभाग को पूरी तरह से सशक्त और साधन सम्पन्न बनाया जाए।

समिति की सिफारिश मान ली गई है ।

(24) समिति ने यह सिफारिश की है कि तार प्रणाली के लिए देवनागरी सॉफ्टवेयर का निर्माण इलैक्ट्रानिक कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद द्वारा तुरन्त किया जाए ताकि इसके अभाव में देवनागरी तारें भेजने में कोई कठिनाई न हो ।

यह सिफारिश मान ली गई है । दूरसंचार विभाग इसके कार्यान्वयन के लिए तुरन्त कार्रवाई करे ।

(25) समिति ने यह सिफारिश की है कि चूंकि तार भी पत्राचार का ही एक रूप है इसलिए राजभाषा नियमों में किए गए प्रावधान के अनुसार "क" तथा "ख" क्षेत्रों में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों तथा राज्य सरकारों और उनके कार्यालयों तथा अन्य व्यक्तियों आदि को तथा "ग" क्षेत्र में स्थित अधिसूचित कार्यालयों को सभी सरकारी तार केवल देवनागरी में ही भेजे जाएं ।

समिति की सिफारिश इस संशोधन के साथ मान ली गई है कि जहां-जहां देवनागरी में तार भेजने की सुविधा उपलब्ध है, वहां स्थित कार्यालयों में सभी तार राजभाषा विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप हिंदी में ही भिजवाए जाएं ।

(26) समिति ने यह सिफारिश की है कि कम्प्यूटरों के देवनागरी कुंजीपटल का मानकीकरण 1987 के अन्त तक सम्पन्न कर लिया जाना चाहिए ।

समिति की सिफारिश पहले ही कार्यान्वित की जा चुकी है ।

(27) प्रोत्साहनों के सम्बन्ध में समिति ने सिफारिश की है कि :

(क) अंग्रेजी टाइपिंग और आशुलिपि जानने वालों को हिंदी टाइपिंग और आशुलिपि सीखने पर और रोमन के साथ-साथ हिंदी टाइपिंग और आशुलिपि का कार्य करने पर विशेष प्रोत्साहन क्रमशः 20/-रु. एवं 30/- रु. प्रति मास दिया जाता है जो कि अत्यन्त न्यून और अनाकर्षक है । इसे बढ़ाकर क्रमशः 100/- रु. और 200/-रु. कर दिया जाना चाहिए ।

(ख) टेलीप्रिंटर तथा कम्प्यूटर प्रचालकों को भी दोनों भाषाओं में काम करने के लिए कुछ विशेष प्रोत्साहन भत्ता दिया जाना चाहिए और यह विशेष प्रोत्साहन कुछ समयावधि यथा पांच वर्ष तक ही दिया जाना चाहिए ताकि इस दौरान कर्मचारी को दोनों भाषाओं में काम करने का अनुभव प्राप्त हो जाए ।

रोमन के साथ-साथ हिंदी टाइपिंग और आशुलिपि का कार्य करने पर विशेष प्रोत्साहन क्रमशः 20/-रु. एवं 30/-रु. से बढ़ाकर 40/-रु. और 60/ रु. कर दिया गया है । इस आशय के आदेश 16-7-1987 को जारी किए गए थे । राजभाषा विभाग समिति की इस सिफारिश के अनुरूप प्रोत्साहन की राशि बढ़ाने का मामला पुनः वित्त मंत्रालय को भेजे तथा कम्प्यूटर और टैलेक्स आपरेटरों को भी इस आदेश की परिधि में लाया जाए । समिति की इस सिफिारिश पर कि इस प्रकार का प्रोत्साहन कुछ समयावधि, यथा पांच वर्ष तक ही दिया जाना चाहिए, पांच वर्ष के पश्चात् पुनः विचार किया जाए ।

(28) समिति ने यह सिफारिश की है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत के सभी प्रकाशन द्विभाषी रूप में साथ-साथ ही निकाले जाएं यह आवश्यक है कि सभी सरकारी मुद्रणालय में हिंदी तथा अंग्रेजी के मुद्रण कार्य की सुचारू व्यवस्था उपलब्ध हो और हिंदी के मुद्रण कार्य का स्तर अंग्रेजी के मुद्रण कार्य से किसी भी प्रकार से कम न हो । यह भी आवश्यक है कि मुद्रण कार्य में लगे हुए अधिकारियों और कर्मचारियों जैसे--कम्पोजिटरों, प्रूफरीडरों आदि को हिंदी भाषा में कार्य करने का अपेक्षित प्रशिक्षण अथवा अनुभव प्राप्त हो ।

समिति की यह सिफारिश मान ली गई है। मुद्रण निदेशालय इस विषय में अपेक्षित कार्रवाई करे ।

(29) राजभाषा विभाग द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में एक निश्चित प्रतिशत के देवनागरी टाइपराइटर खरीदने और प्रत्येक कार्यालय में कम से कम एक देवनागरी टाइपराइटर उपलब्ध कराने तथा हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों पर कार्य करने में सक्षम इलैक्ट्रानिक यंत्रों/उपकरणों आदि की खरीद के बारे में आदेश जारी किए गए हैं, किन्तु विभिन्न मंत्रालयों/विभाग/कार्यालयों तथा उपकमों आदि द्वारा समुचित अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया है जिससे कि राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रयोग की गति अवरुद्ध हुई है और अंग्रेजी के प्रयोग को बढ़ावा मिला है । इस सम्बन्ध में समिति ने यह सिफारिश की है कि राजभाषा नियम के नियम 12 के अनुसार जिन विभागाध्यक्षों ने इस सम्बन्ध में राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए आदेशों का समुचित रूप से अनुपालन नहीं किया है उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए ।

समिति की सिफारिश मान ली गई है । इसके कार्यान्वयन के लिए राजभाषा विभाग द्वारा सभी कार्यालयों का ध्यान समिति की सिफारिश की ओर दिलाया जाए तथा राजभाषा विभाग द्वारा इस विषय में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों का कड़ाई से पालन करने के लिए कहा जाए ।

(30) समिति ने यह सिफारिश की है कि "क" तथा "ख" क्षेत्रों में जहां द्विभाषी यंत्र लगाए जाएं वहां उन यंत्रों का राजभाषा सम्बन्धी नियमों के अनुसार मुख्यतः हिंदी में कार्य करने के लिए ही प्रयोग किया जाए । इसके लिए मजबूत और कारगर जांच बिन्दु बनाए जाएं तथा इनका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई का प्रावधान किया जाए ।

"क" तथा "ख" क्षेत्रों में जहां द्विभाषी यंत्र लगाए जाएं वहां उन यंत्रों का राजभाषा सम्बन्धी नियमों के अनुसार मुख्यतः हिंदी में कार्य करने के लिए प्रयोग करने, इसके लिए मजबूत और कारगर जांच बिन्दु बनाए जाने तथा इनका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई का प्रावधान किए जाने के बारे में समिति की सिफारिश मान ली गई है तथा इस विषय में राजभाषा विभाग निर्देश जारी करे ।

ह./-

(निशि कान्त महाजन)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार ।